

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट में बन्दरलीमा-हडखोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०)

प्रतिवेदन

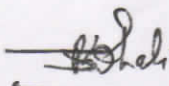
उक्त मोटर मार्ग हेतु शासनादेश संख्या 1155/।।। (2)/14-68 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 22.02.2014 द्वारा 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु० 23.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें 1.00 किमी० बन्दरलीमा-हडखोला-हचीला-अजेडा मोटर मार्ग शासनादेश संख्या 8224/लो०नि०-2/02-95(प्रा०आ०)/02 देहरादून दिनांक 9 दिसम्बर 2002 (प्रथम चरण) पूर्व में स्वीकृत है जिसके वनभूमि प्रस्ताव पूर्व में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/06/290/ 2005/ एफ०सी० 2972 दिनांक 20.02.2006 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं शासन के पत्र संख्या जी०आई०:- 1203/7-1-2006-600 (1311)/2005 दिनांक 29.09.2006 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न है) वर्तमान में 4.00 किमी० के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये गये हैं इस मार्ग का वन भूमि क्षेत्रफल 9.00 मी० चौड़ाई के अनुसार गणना कर मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि 0.945 है० एवं मलुवा निस्तारण में प्रभावित राज्य भूमि 0.045 है० इस प्रकार कुल राज्य भूमि 0.990 है० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसमें वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौ० में की गई है। जिसमें बांज वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है। इस मार्ग से निम्नलिखित गांव लाभान्वित होंगे :-

	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	बन्दरलीमा	184
2	तोली चुफात	215
3	सपेया	25
4	हडखोला	152

इस प्रस्ताव में मार्ग के संलग्न बारचार्ट व लैण्ड शैड्यूल के अनुसार निम्न प्रकार की भूमि हस्तान्तरित होनी है :-

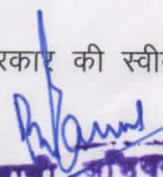
1	आरक्षित वन भूमि	प्रभावित नहीं
2	मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि	0.945 है०
3	मलुवा निस्तारण में प्रभावित राज्य भूमि	0.045
	कुल वनभूमि	0.990 है०
1	नाप भूमि	2.6550 है०
	कुल भूमि	3.645 है०

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर राज्य सरकार/भारत सरकार की स्वीकृति हेतु 0.990 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।


J.E.

ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)


विधान सभा, लो० वि० वि०
पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)